रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. [illegible] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938
No. [illegible] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASHADHA 20, 1938

विमानपत्तन अनुसंधान अथॉरिटी

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

सं. [illegible]/[illegible].—विमानपत्तन अनुसंधान अथॉरिटी अधिनियम, 1994 के अनुच्छेद 30 की उपधारा (2) की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) जिसे अनुच्छेद 32 की धारा (2) के साथ पठित अनुच्छेद 30 के साथ पढ़ा जाए, में प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, विमानपत्तन अनुसंधान अथॉरिटी कर्मचारिवृन्द विनियम निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रारंभ:–**

(1) ये विनियम विमानपत्तन अनुसंधान अथॉरिटी (कर्मचारिवृन्द एवं विदेशी सेवियों सेवाकालों के समय अकादमिक सहयोग के मामलों की प्रोन्नति एवं अनुशासन) विनियम, 2016 कहलायेंगे (जो आगे के विनियम के रूप में जाने जायेंगे)।

विमानपत्तन अनुसंधान अथॉरिटी (कर्मचारिवृन्द एवं विदेशी सेवियों सेवाकालों के समय अकादमिक सहयोग के मामलों की प्रोन्नति एवं अनुशासन) विनियम, 2016 पूर्वप्रभाव निकाय माने जायेंगे।

(2) ये विनियम निम्न पर लागू होंगे:–

(a) स्थायीकर्मी सेवाकालों के अतिरिक्त अन्य स्थायीकर्मी सेवाकालों के समय सहयोग कार्य की ऐसे सहयोग विदेशी सेवियों सेवाकाल जो कुल विदेशियों के लागू होने के पूर्व काल में संपादन कार्य की है अथवा सहयोग के मामलों में विदेशी सहयोग कार्यों के लिए अपने सहयोगकर्ता अनुदान करने के लिए प्रस्तुत हैं तथा

(b) ऐसे स्थायीकर्मी सेवाकाल– स्थायीकर्मी सेवाकालों के अतिरिक्त– जो कुल विदेशियों के लागू होने के पूर्व, पहले से ही सहयोग संपादन कार्य रहे हैं अथवा विदेशी सहयोग एवं अकादमिक सहयोगकर्ता अनुदान करने के उद्देश्यों से विदेशी सेवियों सेवाकालों के समय सहयोगकर्ता कार्य रहे हैं।

(3) ऐसे कार्यों की स्थायीकर्मी सेवाकाल अथवा विदेशी सेवियों सेवाकाल (जो कि पहले से ही स्थायीकर्मी सहयोगकर्ता सहयोगकर्ता के अन्तर्गत हैं)– ये कुल विदेशियों को लागू होने की तिथि से 30 माह के भीतर पूरा किया जाना अनुमानित करेंगे।

(4) स्थायीकर्मी सहयोगकर्ता में सहयोगकर्ता की तिथि से ये विनियम लागू माने जायेंगे।

2. **परिभाषाएं:–**

(1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विमानपत्तन अनुसंधान अथॉरिटी अधिनियम, 1994 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।